

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक :- 05/10/2025

अधि० सं० ग्रा०वि०-3/स्था०-01-03/2025 4674585 कार्यहित में बिहार ग्रामीण विकास सेवा के श्री अरविंद कुमार (अनुक्रमांक-135276, गृह जिला-मधुबनी), प्रखंड विकास पदाधिकारी, पिपरा (सुपौल) को स्थानांतरित करते हुए, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-11) में द्वितीय प्रोन्नति के पदक्रम- जिला विकास पदाधिकारी, दरभंगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगा।
3. संबंधित पदाधिकारी अधिसूचना निर्गत की तिथि से स्वतः विरमित होंगे।
4. श्री अरविंद कुमार को निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 06.10.2025 के पूर्वाह्न में अपने नवपदस्थापित जिला में योगदान देना तथा प्रभार ग्रहण करना अविलंब सुनिश्चित करेंगे तथा योगदान एवं प्रभार प्रतिवेदन विभागीय ईमेल (rlrsec-bih@nic.in) पर भेजना सुनिश्चित करेंगे।
5. नव पदस्थापित पदाधिकारी के माह अक्टूबर, 2025 के वेतनादि का भुगतान नव पदस्थापित जिला से किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

मंजु प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 4674585

दिनांक:- 05/10/2025

ग्रा०वि०-3/ स्था०-01-03/2025

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/ महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/ जिला पदाधिकारी, दरभंगा एवं सुपौल/ उप विकास आयुक्त, दरभंगा एवं सुपौल/ कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा एवं सुपौल/ श्री अरविंद कुमार, अधिसूचित जिला विकास पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, दरभंगा एवं सुपौल से अनुरोध है कि दिनांक 06.10.2025 के पूर्वाह्न तक इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा जाय।

ज्ञापांक:- 4674585

दिनांक:- 05/10/2025

प्रतिलिपि- मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-14/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14/ आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित।